न्यायालय सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) बालोतरा

पीठासीन अधिकारी – श्री नरेश सोनी . आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :– 134 / 2019

वादीगण	बनाम	प्रतिवादीगण
1 खमुराम पुत्र देवाराम 2 मनोहरलाल पुत्र देवाराम जाति मेगवाल नि0 पटाऊ कला तहसील पचपदरा जिला बाड़मेर		1. बाबुराम पुत्र देवाराम जाति मेगवंशी 2. नारायणराम पुत्र देवाराम जाति मेगवंशी 3. गंगाराम पुत्र सुखाराम जाति विश्नोई 4. पूनमाराम पुत्र सुखाराम जाति विश्नोई 5. रमकुदेवी पत्नी सुखाराम जाति विश्नोई 6. मानाराम पुत्र कोजाराम जाति विश्नोई 7. दानुराम पुत्र हेमाराम जाति विश्नोई 8. बागाराम पुत्र पेलादाराम जाति विश्नोई 9. वरदाराम पुत्र भीखाराम जाति मेगवंशी 10. तुलछाराम पुत्र भीखाराम जाति मेगवंशी 11. नागाराम पुत्र घमण्डाराम जाति मेगवंशी 12. गिरधारीराम पुत्र घमण्डाराम जाति मेगवंशी निवासी पटाउ कला एवं पटाउ खुर्द 13.राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार पचपदरा

सहायक कलेक्टर (S.D.O.) बालोतरा

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थितिः– 1. श्री भूपेन्द्र वकील वादीगण।
2. श्री विक्रम आसिया वकील प्रतिवादीगण।

दिनांक 15.02.2021

निर्णय

संक्षिप्त मे वाद कथन के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है कि मौजा पटाऊ खुर्द की राजस्व सीमा में कृषि भूमे खेत खसरा सं0 120 रकबा 81.02 बीघा, भूमि तथा मौजा पटाऊ कला खसरा सं0 24 रकबा 38.14 बीघा, खसरा सं. 218 / 48 रकबा 01.01 बीघा, खसरा सं. 224 / 57 रकबा 192 कुल रकबा 231.15 बीघा अवस्थित है। उक्त आराजी भूमि राजस्व रेकर्ड में कर्मचारी द्वारा सहवन से वादी सं0 1 का अशुद्व नाम खूमाराम दर्ज कर दिया जबकि सही व वास्तविक नाम खमूराम है, तथा वादी सं0 02 का अशुद्व नाम मनोहरराम दर्ज कर दिया जबकि सही व वास्तविक नाम मनोहरलाल दर्ज है। अतः वादीगण संख्या 01 खमुराम वादीसंख्या 02 का मनोहरलाल शुद्व व सही नाम माफिक राजस्व रेकर्ड में खातेदार घोषित किया जाने का निवेदन किया गया ।

प्रतिवादीगण संख्या 1,2,9,10,11,12 के वकील उपस्थित। प्रतिवादी ने दिनांक 24.12.2019 को जबाब पेश कर जाहिर किया कि वादीगण का सही नाम दुरूस्त किया जावे तो हम प्रतिवादीगण पूर्ण रूप से सहमत है हमें कोई उजर एतराज या आपत्ति नहीं है।

प्रतिवादीगण संख्या 4 ता 8 की और से वादी वकील ने तर्क किया गया ऐसी स्थिति में दोनो पक्षों के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गई, हमने पत्रावली का एवं संलग्न दस्तावेज का अवलोकन व अध्ययन किया। बाद गौर वादग्रस्त आराजी वादी की पैतृक कृषि भूमि है। जिसमे वादीगण संख्या 01 का अशुद्व नाम खमाराम वादी सं0 02 का अशुद्व नाम मनोहरराम दर्ज है। प्रतिवादी ने दिनांक 24.12.2019 को जबाब पेश कर वादीगण का सही नाम दुरूस्त किया जावे तो हम प्रतिवादीग[illegible] उजर एतराज या आपत्ति नहीं है। वादी के द्वारा वाद पत्र में प्रस्तुत साक्षी के संलग्न प्रस्तुत दस्तावेज [illegible] पत्र अन्तर्गत आदेश 18 नियम 04 सीपीसी हेतु मुख्य परीक्षण पेश किया गया [illegible] साक्षी वादी के मुख्य पर[illegible] प्रस्तुत शपथपत्र, एवं प्रदर्श ई एक्स –01जमाबंदी नकल मौजा पटा[illegible] संवत 2073 से 2076, ई [illegible] 2 जमाबंदी नकल मौजा पटाउ खुर्द संवत 2073 से 2076 में खूमाराम, मनोहरराम दर्ज है, जबकि वादीगण के द्वारा

सहायक कलेक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

Signature Not Verified
Digitally signed by Naresh Soni
Date: 2022.03.27 18:15:35 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

प्रस्तुत अन्य दस्तावेज प्रदर्श 3ए से 8ए से स्पष्ट साबित है कि पहचान पत्र आरजे/23/176/474246, आधार कार्ड संख्या 632124668596, आधार कार्ड संख्या 218888893408 मे वादीगण के सही नाम खुमाराम एवं मनोहरलाल दर्ज है, राजस्व रेकर्ड मे एवं वादीगण के अन्य दस्तावेजात मे नाम भिन्न–भिन्न दर्ज होने से वादीगण को अनावश्यक कठिनाई हो रही है, ऐसी स्थिति मे वादी संख्या 01 अशुद्ध नाम खमाराम के स्थान पर सही नाम खूमराम व वादी सं0 02 का अशुद्ध नाम मनोहरराम की स्थान पर मनोहरलाल दुरूस्त किया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है। उपरोक्त विवेचन एवं वादीगण के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यो के आधार पर वादीगण के वाद को स्वीकार करने मे कोई आपत्ति प्रतीत नही होती है।

वादीगण के द्वारा प्रस्तुत वाद को स्वीकार कर मौजा पटाऊ खुर्द की राजस्व सीमा मे कृषि भूमि खेत खसरा सं0 120 रकबा 81.02 बीघा, भूमि तथा मौजा पटाऊ कला खसरा सं0 24 रकबा 38.14 बीघा, खसरा सं. 218/48 रकबा 01.01 बीघा, खसरा सं. 224/57 रकबा 192 बीघा वादग्रस्त आराजी मे वादी संख्या 01 अशुद्ध नाम खमाराम के स्थान पर सही नाम खूमराम व वादी सं0 02 का अशुद्ध नाम मनोहरराम की स्थान पर मनोहरलाल को दुरूस्त किये जाने के आदेश तहसीलदार पचपदरा को दिए जाते है। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करे।

(नरेश सोनी)
सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) पचपदरा

निर्णय आज दिनांक 15.02.2021 को खुले न्यायालय मे लिखवाया जाकर सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर
(S.D.O.) पचपदरा

Signature Not Verified

Digitally signed by Naresh Soni
Date: 2022.03.27 18:15:35 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner